रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 23, 1972/आश्विन 1, 1894

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 23, 1972/ASVINA 1, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 16 फरवरी 1972 तक प्रकाशित किये गये।

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 16th February, 1972.

Issue No.	No. and date	Issued by	Subject
सं०	संख्या और दिनांक	प्रस्तुतकर्ता	विषय
37.	G. S. R. 58(E), dated 25th January 1972.	Ministry of External Affairs.	Direction that the power or function which may be exercised or performed by it under section 27 of the Passports Act, 1967 (15 of 67), relating to thei ssue of certificate for travel between India and Bangladesh to the citizens of India, be exercised also by the State Governments and Administrators of Union territories.
	जी० एस० आर० 58 (अ), दिनांक 25 जनवरी, 1972	विदेश मंत्रालय	पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये केन्द्र सरकार यह आदेश देती है कि भारत के नागरिकों को भारत और बंगलादेश के बीच यात्रा करने के प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा भी होगा।
	G. S. R. 59(E), dated 25th January, 1972.	Do.	These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 1972.
	जी० एस० आर० 59 (अ), दिनांक 25 जनवरी, 1972	तदैव	इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1972 की संज्ञा दी जायेगी।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject.
सं०	संख्या और दिनांक	प्रस्तुतकर्त्ता	विषय
38.	G.S.R. 60(E), dated 28th January 1972.	Ministry of Home Affairs.	Direction that the powers exercisable by it under the provisions of the Defence of India Act, 1971 (42 of 1971) be exercisable by each of the authorities mentioned in the schedule therein in respect of any immovable property.
39.	G.S.R. 61(E), dated 29th January 1972.	Ministry of Finance.	These rules may be called the Baggage (Amendment) Rules, 1972.
	सा० का० नि० 61 (अ), दिनांक 29 जनवरी, 1972	वित्त मंत्रालय	इन नियमों का नाम सामान (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।
40.	G.S.R. 62(E), dated 29th January, 1972.	Central Board of Excise and Customs.	Investing the Appellate Collector of Customs, Calcutta with all powers of the Appellate Collector of Excise, Calcutta.
	सा० का० नि० 62 (अ), दिनांक 29 जनवरी, 1972.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क कलक्टर (अपील) कलकत्ता को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर (अपील) कलकत्ता की सभी शक्तियां विनिहित करती हैं ।
41.	G. S. R. 63(E), dated 29th January, 1972.	Minitry of Finance.	Amendment in notification No. 97-Customs, dated the 13th December, 1971.
	सा० का० नि० 63(अ), दिनांक 29 जनवरी, 1972	वित्त मंत्रालय	अधिसूचना सं० 97—सीमा शुल्क, तारीख 13 दिसम्बर, 1971 में संशोधन ।
	G.S.R. 64(E), dated 29th January, 1972.	Do.	Amendment in notification No. 98-Customs, dated 13th December, 1971.
	सा० का० नि० 64 (अ), दिनांक 29 जनवरी, 1972	तदैव	तारीख 13 दिसम्बर, 1971 की अधिसूचना सं० 98—सीमा शुल्क में संशोधन ।
42.	G.S.R. 65(E), dated 1st February, 1972.	Do.	Fixation of tariff Value of one hundred and sixty five rupees per quintal for sugar.
	सा० का० नि० 65 (अ),दिनांक 1 फरवरी, 1972	तदैव	चीनी के लिये एक सौ पैंसठ रुपये प्रति क्विंटल टैरिफ मूल्य नियत करना ।
43.	G. S. R. 66 (E), dated 1st February, 1972.	Ministry of External Affairs	These rules may be called the Indian Emigration (Amendment) Rules, 1972.
	जी० एस० आर० 66 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 1972	विदेश मंत्रालय	इन नियमों को भारतीय उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 1972 कहा जायेगा ।
44.	G. S. R. 67(E), dated 1st February, 1972.	Ministry of Finance.	The rates of exchange for conversion of each of the foreign currency into Indian currency or vice versa.
	सा० का० नि० 67 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 1972	वित्त मंत्रालय	प्रत्येक विदेशी करेंसी से भारतीय करेंसी में और भारतीय करेंसी से विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन के लिये विनिमय की दरें ।
45.	G. S. R. 68(E), dated 2nd February, 1972.	Ministry of Home Affairs.	These rules may be called the Ministers (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Amendment Rules, 1972.
	सा० का० नि० 68 (अ), दिनांक 2 फरवरी, 1972	गृह मंत्रालय	इन नियमों का नाम मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1972 होगा ।

Issue No. सं०	No. and date सं० और दिनांक	Issued by प्रस्तुतकर्ता	Subject विषय
46.	G. S. R. 69(E), dated 4th February, 1972.	Ministry of Foreign Trade.	Fixing the maximum ex-factory price at which the varieties of jute textiles mentioned in col. (2) of the First Schedule be purchased or sold during the month of February 1972.
	जी० एस० आर० 69 (अ), दिनांक 4 फरवरी, 1972	विदेश व्यापार मंत्रालय	प्रथम अनुसूची के कालम (3) में उल्लिखित मूल्य ऐसे अधिकतम एक्स-फैक्टरी मूल्य के रूप में निश्चित है जिस पर अनुसूची के कालम 2 में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्में फरवरी, 1972 के मास में खरीदी या बेची जायेंगी ।
47.	G. S. R. 70(E), dated 5th February, 1972.	Ministry of External Affairs.	Superseding the G.S.R. 58(E), dated the 25th January 1972, the Central Govt. directs that the power or function, which may be exercised or performed by it under the Passports Act, 1967 (15 of 1967) relating to the issue of certificate for travel between India and Bangladesh to the citizens of India shall also be exercised by an authority specified in Col. (2) of the Schedule in respect of territorial unit.
	जी० एस० आर० 70 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 1972	विदेश मंत्रालय	पास पोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की अधिकारों का प्रयोग करते हुये और जी० एस० आर० 58 (अ) दिनांक 25-1-1972 का अधिग्रहण करते हुये केन्द्र सरकार निदेश देती है कि भारत और बंगलादेश के बीच भारत के नागरिको की यात्रा के लिये प्रमाण-पत्र जारी करने से अनुसूची के कालम (2) में वर्णित प्राधिकारियों द्वारा भी क्षेत्रीय यूनिट के सम्बन्ध में किये जायेंगे ।
48.	G. S. R. 71(E), dated 4th February, 1972.	Ministry of Petroleum and Chemicals.	The Paraffin Wax (Supply, Distribution and Price Fixation) Order, 1972.
	सा० का० नि० 71 (अ), दिनांक 4 फरवरी, 1972	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	पैराफिन मोम (प्रदाय, वितरण और कीमत नियतन), आदेश, 1972 ।
49.	G. S. R. 72(E)/Ess. Com./Sugar, dated 8th February, 1972.	Ministry of Agriculture.	The Sugar (Restrictions on Movement) Amendment 1972.
	जी० एस० आर० 72 (अ)। आ० व० शर्करा, दिनांक 8 फरवरी, 1972	कृषि मंत्रालय	शर्करा (संचालन पर निर्बंधन) आदेश, 1972 ।
50.	G.S.R. 73(E), dated 14th February, 1972.	Ministry of Home Affairs.	Appointing the 15th day of February 1972 as the date on which the provisions of the Constitution (Twenty-seventh Amendment) Act, 1971 shall come into force.
	सा० का० नि० 73 (अ), दिनांक 14 फरवरी, 1972	गृह मंत्रालय	15 फरवरी, 1972 से संविधान (सत्ताईसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे ।
51	G.S.R. 74(E), dated 14th February 1972.	Do.	Appointing the 15th day of February 1972 as the date on which the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952 shall come into force in the districts of Kohima and Mokokchung in the State of Nagaland.
	सा० सा० नि० 74 (अ), दिनांक 14 फरवरी, 1972	तदेव	15 फरवरी, 1972 को समाधित जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) को नागालैण्ड राज्य में कोहिमा और मोकोकचंग जिलों में लागू होने की तिथि निर्धारित करती है ।

Issue No. सं०	No. and date सं० और दिनांक	Issued by प्रस्तुतकर्त्ता	Subject विषय
52.	G.S.R. 75 (E) dated 15th February, 1972.	Ministry of Home Affairs	Appointing the 16th day of February 1972 as the date on which the provisions of Union Territories (Amendment Act, 1971 (83 of 1971) shall come into force.
	सा० का० नि० 75 (अ), दिनांक 15 फरवरी, 1972	गृह मंत्रालय	16 फरवरी, 1972 को संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 83) के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे ।
53.	G.S.R. 76(E), dated 15th February, 1972.	Ministry of Finance.	Exemption of the Categories of passengers specified in col. (2) of the Schedule from the whole of the Foreign Travel Tax.
	सा० का० नि० 76 (अ), दिनांक 15 फरवरी, 1972	वित्त मंत्रालय	अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यात्रियों के प्रवर्ग को विदेश यात्रा कर से छूट ।
54.	G.S.R. 77 (E), dated 15th February, 1972.	Ministry of Agriculture.	Appointment of S/Shri S. K. Ghose, M. K. Mukhrji and S. Tilak as directors in the Board of Directors of the F.C.I. and amendments in the late Min. of F. & A. (Deptt. of Food) G.S.R. No. 37 dated the 2nd January 1965.
	सा० का० नि० 77 (अ), दिनांक 15 फरवरी, 1972	कृषि मंत्रालय	सर्वश्री एस० के० घोष, एम० के० मुखर्जी और एस० तिलक को भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति और भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की सा० का० नि० सं० 37, तारीख 2 जनवरी, 1965 में संशोधन ।
55.	G.S.R. 78(E), dated 16th February, 1972.	Do.	Food Corporations (Amendment) Rules, 1972.
	सा० का० नि० 78 (अ), दिनांक 16 फरवरी, 1972	तदेव	खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 1972 ।
56.	G.S.R. 79(E) dated 16th February, 1972.	Do.	Rescission of the Order of the Govt. of India in the Ministry of Agriculture (Deptt. of Food) No. G.S.R. 1957 dated 22nd December 1971.
57.	G.S.R. 80 (E), dated 16th February, 1972.	Do.	Rescission of the Orders issued by the Central Government as specified in the Schedule provided that such rescission shall not affect conditions mentioned therein.
58.	G.S.R. 81(E), dated 16th February, 1972.	Ministry of Home Affairs.	17th day of February 1972 as the date on which Sections 1, 2, 3, 4, 14, 38, 43A and 56 of the Government of Union Territories Act, 963 (20 of 1963) shall come into force in the Union territory of Mizoram.
	सा० का० नि० 81 (अ), दिनांक 16 फरवरी, 1972	गृह मंत्रालय	17 फरवरी, 1972 को संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 (1963 का 20) की धारा 1, 2, 3, 4 14, 38, 43क और 56 मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी ।

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी, मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से 10 दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 5th May 1972

G.S.R. 1135.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Company Law Board Service Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Company Law Board Service (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Company Law Board Service Rules, 1965—

(1) in sub-rule (1) of rule 1, in clause (h) of rule 2 and in sub-rule (1) of rule 3, for the words "Company Law Board Service", the words "Central Company Law Service" shall be substituted;

(2) in clause (c) of sub-rule (2) of rule 6, for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the proportion of departmental promotees to direct recruits shall be 3:5.";

(3) to sub-rule (1) of rule 7, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the upper age limits specified in the Schedule may be relaxed in favour of Government servants.";

(4) to sub-rule (4) of rule 8, after clause (b), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that in computing the approved service for promotion to a duty post in grade II or grade III, the past service rendered by an officer prior to the 1st January, 1967 in the same post or in a comparable post included in Part A or Part C of Schedule I shall be taken into account but the seniority already assigned by the commission at the time of the initial constitution of the Service, shall not be disturbed in any way.";

(5) in Schedule I, in Part B,

(i) against serial No. 1, in the fourth column, for the words "Senior Accounts Officer", the words and brackets "Joint Director (Accounts)" shall be substituted;

(ii) against serial No. 2, in the fourth column, for the words "Senior Solicitor", the words and brackets "Joint Director (Legal)" shall be substituted;

(iii) against serial No. 3, in the fourth column, for the words "Legal Adviser", the words and brackets "Joint Director (Legal)" shall be substituted;

(iv) against serial No. 6, in the fourth column, for the words "Accounts Officer", the words and brackets "Deputy Director (Accounts)" shall be substituted;

(v) against serial No. 7 in the fourth column, for the words "Solicitor", the words and brackets "Deputy Director (Legal)" shall be substituted;

(6) in Schedule II—

(i) under the heading "Qualification", for the sub-heading "Law Branch" wherever it occurs, the sub-heading "Legal Branch" shall be substituted;

(ii) in grade IV, against the heading "Qualifications", for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

Accounts Branch:

Essential:

Chartered Accountant or Cost and Works Accountant, with two years' practice as a Chartered Accountant or as a Cost and Works Accountant, as the case may be,

OR

two years' experience in a commercial or industrial organisation or in a Government Department connected with the administration of the Companies Act.

Desirable:

(i) Administrative experience, or

(ii) Membership of the Institute of Company Secretaries;

Legal Branch:

Essential:

Attorney of Bombay/Calcutta High Court or Degree in law of recognised University, with three years' experience of work as an Attorney/Legal Practitioner preferably connected with Joint Stock Companies,

OR

three years' experience in a Government Department connectd with the Administration of the Companies Act;

Desirable:

(i) Administrative experience, or

(ii) Membership of the Institute of Company Secretaries"

[No. 3/13/64-Admn.II.]

N. K. SEN GUPTA,
Director.

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली, 5 मई, 1972

सा० का० नि० 1135.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी विधि बोर्ड सेवा नियम, 1965 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतत्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम कम्पनी विधि बोर्ड सेवा (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कम्पनी विधि बोर्ड सेवा नियम, 1965 में,—

(1) नियम 1 के उपनियम (1) में, नियम 2 के खण्ड (ज) में, और नियम 3 के उपनियम (1) में, "कम्पनी विधि बोर्ड सेवा" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंग ।

(2) नियम 6 के उपनियम (2) के खण्ड (ग) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु विभागीय प्रोन्नतों का सीधी भर्ती किए जाने वालों से अनुपात 3 : 5 होगा ।"

3. नियम 7 के उपनियम (1) को, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमाएं सरकारी सेवकों के पक्ष में शिथिल की जा सकेंगी ।"

4. नियम 8 के उपनियम (4) को, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु श्रेणी ii या श्रेणी iii में किसी कर्तव्य-पद पर प्रोन्नति के लिए अनुमोदित सेवा की संगणना करने में, अनुसूची 1 में भाग क या भाग ग में सम्मिलित उसी पद में या किसी तुलनीय पद में 1 जनवरी, 1967 के पूर्व किसी अधिकारी द्वारा पहले की गई सेवा हिसाब में ली जाएगी, किन्तु सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय आयोग द्वारा दी गई ज्येष्ठता में किसी प्रकार बाधा नहीं डाली जाएगी ।"

5. अनुसूची 1 में, भाग ख में,

(1) क्रमसंख्या 1 के सामने, चौथे स्तम्भ में, "ज्येष्ठ लेखा अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "संयुक्त निदेशक (लेखा)" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) क्रमसंख्या 2 के सामने चौथे स्तम्भ में, "ज्येष्ठ सालिसिटर" शब्दों के स्थान पर "संयुक्त निदेशक (विधि)" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जायेंग ।

(iii) क्रमसंख्या 3 के सामने, चौथे स्तम्भ में "विधि सलाहकार शब्दों के स्थान पर, "संयुक्त निदेशक (विधिक)" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

(iv) क्रमसंख्या 6 के सामने, चौथे स्तम्भ में "लेखा अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "उप निदेशक (लेखा)" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

(v) क्रम संख्या 7 के सामने, चौथे स्तम्भ में, "सालिसिटर" शब्द के स्थान पर "उप निदेशक (विधिक)" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

6. अनुसूची ii में, —

(i) "अर्हताएं" शीर्ष के नीचे "विधि शाखा" जहां कहीं भी वे आते हों, उस शीर्ष के स्थान पर "विधिक शाखा" उपशीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ii) श्रेणी 4 में, "अर्हताएं" शीर्ष के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"लेखा शाखा"

आवश्यक :

चार्टर्ड एकाउन्टेंट या लागत और संकर्म लेखाकार, जिसका, यथास्थिति चार्टर्ड एकाउन्टेंट या लागत और संकर्म लेखाकार के रूप में 2 वर्ष का व्यवसाय हो,

या

वाणिज्य या औद्योगिक संगठन में या कम्पनी अधिनियम के प्रशासन से सम्बन्धित किसी सरकारी विभाग में 2 वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :—

(i) प्रशासनिक अनुभव, या

(ii) कम्पनी सचिव संस्थान का सदस्यता ।

विधिकशाखा

आवश्यक :

बम्बई/कलकत्ता उच्च न्यायालय का अटर्नी या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि में डिग्री, साथ ही अटर्नी / विधि व्यवसायी

के रूप में, अधिमान्यतः संयुक्त स्टाक कम्पनी से सम्बन्धित कार्य का 3 वर्ष का अनुभव ,

या

कम्पनी अधिनियम के प्रशासन से सम्बन्धित किसी सरकारी विभाग में 3 वर्ष का अनुभव ;

वांछनीय ;

(i) प्रशासनिक अनुभव, या

(ii) कम्पनी सचिव संस्थान की सदस्यता

[सं० 3/13/64-प्रशा० II)

एन० के० सेन गुप्ता,
निदेशक ।

New Delhi, the 11th August 1972

G.S.R. 1136.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules relating the method of recruitment to the post of Audit Officer in the Department of Company Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Company Affairs (Audit Officer) Recruitment Rules, 1972.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation and other concession required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules For The Post of Audit Officer in Department of Company Affairs

Name of post	No. of Post.	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Eduactional and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Audit Officer	3	General Central Service Class-I Gazetted.	Rs. 400—950	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstance in which U.P. S. C. to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	Not Applicable.	Transfer on deputation.	*Transferd on deputation.* Audit/Accounts Officers with at least 5 years' service in the grade from any of the organised Accounts Departments, *e.g.* Audit & Accounts Departments, Indian Defence Accounts Department, Indian Railway Accounts Department, etc. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Not Applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. F.A. 12018/5/71-Admn. I.]

K. M. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1972

सा०का०नि० 1136.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी कार्य विभाग में लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को नियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम कम्पनी कार्य विभाग (लेखा परीक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना:—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अन्य अर्हताएं आदि—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है ।

5. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई भी बात, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उपबन्ध करने के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

अनुसूची

कम्पनी कार्य विभाग में लेखा परीक्षा अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु
1	2	3	4	5	6
लेखापरीक्षा अधिकारी	3	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग-राजपत्रित	400—950 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नती की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की कालावधि यदि हो
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
10	11	12	13
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण निम्नलिखित संगठित लेखा विभागों से, अर्थात्, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग, भारतीय रेलव लेखा विभाग, आदि में किसी से उस श्रेणी में कम से कम जिनकी 5 वर्ष की सेवा हो, ऐसे लेखा परीक्षा लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति की अवधि-मामूली तौर पर 3 वर्ष से अनधिक)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित

[सं० ए-12018/5/71-प्रशा०-1]

का० म० शर्मा,
अवर सचिव ।

(Company Law Board)

New Delhi, the 14th August 1972

G.S.R. 1137.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), read with the Government of India, Department of Company Affairs Notification No. G.S.R. 686 dated the 4th May, 1971 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957, (hereinafter referred to as the Notification'), the Company Law Board hereby directs that in the case of International Executive Service Corps (hereinafter referred to as "the company") being a foreign company, the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said Section 594 as modified in their application to a foreign company by the notification shall apply subject to the following further exceptions and modifications, namely:—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said Section 594, if in respect of the financial years ended 31st December 1969 and 31st December 1970, the Company submits to the appropriate Registrar of Companies in India in triplicate:

(i) a copy of the authenticated balance sheet and profit and loss account (including documents relating to every subsidiary of the company) as submitted by it to the prescribed authority in the country of its incorporation under the provisions of the law in that country.

(ii) a certificate to the effect that no monetary transactions were conducted by the company in India during the said two years and only their Solicitors had met the requirements of the company in India duly signed by two directors of the company and the person resident in India, authorised to accept service of process on behalf of the company within the meaning of Section 592(i)(d) of the Companies Act, 1956.

[No. F.14(8)-CL.VI/71.]

By Order of the Company Law Board.

A. K. GHOSH, Under Secy. to the Company Law Board.

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली, –1, दिनांक 14–8–1972

सा० का० नि० 1137.—भारत सरकार कम्पनी कार्य विभाग को अधिसूचना सं० सा० का० नि० 686 तारीख 4 मई 1971 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना स० सा० का० नि० आ० 3216 तारीख 4 अक्तूबर, 1957 (जिसे इसमें इस के पश्चात् "अधिसूचना" कहा गया है) में आंशिक उपान्तर करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद द्वारा यह निदेश देता है कि इन्टरनेशनल एक्जीक्यूटिव सर्विस कार्प्स (जिसे इसमें इस के पश्चात् "कम्पनी" कहा गया है) के मामले में, जो एक विदेशी कम्पनी है, उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षायें जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी को अपने लागू होने के सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई है, निम्नलिखित अन्य अपवादों तथा उपान्तरों के अध्यधीन रहते हुए लागू होगी। अर्थात् :—

यदि 31–12–1969 एवं 31–12–1970 के वर्षों को समाप्त की बाबत कम्पनी भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को, निम्नलिखित की तीन, प्रतियां, प्रस्तुत करें तो उक्त धारा 59 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जाएगा।

(1) प्रमाणीकृत तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि के लेखे की एक प्रति (जिस के अन्तर्गत प्रत्येक अनुषंगी से सम्बन्धित दस्तावेजें आती हैं) जैसी कि कम्पनी ने अपने निगमन वाले देश में, उस देश की विधि के उपबन्धों के अधीन विहित प्राधिकारी को भेजी हो,

(2) कम्पनी के दो निदेशकों तथा अधिनियम की धारा 592 (1) (घ) के अवान्तगत भारत में आदेशिका तामील की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत भारत में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा प्रमाणित इस आशय का एक प्रमाणित पत्र कि कथित दो वर्षों में कम्पनी ने, भारत में कोई मौद्रिक व्यापार नहीं किया था, एवं भारत में केवल उस के सालोसिटर कम्पनी की अपेक्षाय पूरी करते रहे थे।

[स० फा० 14(8) सी० एल० 6–71]

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से

ए० के० घोष,

अवर सचिव,

कम्पनी विधि बोर्ड

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

New Delhi, the 11th August 1972

G.S.R. 1138.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Posts and Telegraphs (Laboratory Technicians) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the Posts and Telegraphs (Laboratory Techinicians) Recruitment (Second Amendment) Rules 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Posts and Telegraphs (Laboratory Techinicians) Recruitment Rules, 1964 in column 6, for the entry the following entry shall be substituted, namely:—

"*Essential*:

Matriculation with a certificate in Laboratory Techinican Course with at least 2 years experience in Laboratory work.

Desirable:

Diploma in Laboratory Techinician Course"

[No. 29-1/69-NCG.]

K. V. LAKSHMANAN,

Assistant Director General (STN).

संचार विभाग

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1972

सा० का० नि० 1138.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति डाक तार (प्रयोगशाला तकनीशन) भर्ती नियम, 1964 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम डाक तार (प्रयोगशाला तकनीशन) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1972 होगा,

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. डाक-तार (प्रयोगशाला तकनीशन) भर्ती नियमावली, 1964 के कालम 6 में उल्लिखित शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

"अनिवार्य" :

मैट्रीक्युलेशन के साथ प्रयोगशाला तकनीशन कोर्स प्रमाण-पत्र और इसके साथ प्रयोगशाला के काम में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव ।

वांछित

प्रयोगशाला तकनीशन कोर्स में डिप्लोमा ।

[संख्या 29-1/69-एन० सी० जी०]

के० वि० लक्षमणन,

सहायक महानिदेशक

एस०टी०एन

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 7th August 1972

G.S.R. 1136.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class IV posts in the National Atlas Organisation under the Department of Science & Technology, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Atlas Organisation (Class IV posts) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply for recruitment to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid; Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitments may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Machineman	2	General Central Service Class IV Non-Gazetted.	Rs. 85-2-95-3-110.	Not applicable.	18-25 years.	(i) Middle School Standard pass: (ii) Ability to operate Treadle Printing machine operated both by electricity and by pedal.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	Direct Recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
2. Compositor	2	Do.	Rs. 85—2—95—3—110.	Do.	18—25 years	*Essential* : (i) Middle School Certificate (with English). (ii) Experience in composing work in a press. (iii) Experience in operating hand press or a treadle machine. (iv) Knowledge of proof-reading. *Desirable* : Ability to read and write Hindi.
3. Packer	1	Do.	Rs. 75—1—85—EB—2—95.	Non-Selection.	18—25 years.	*Essential*: Middle School Standard pass with English. *Desirable* : (i) Experience of packing work in press or publishing firm. (ii) Ability to read and write Hindi.
4. Laboratory Attendant.	1	General Central Service. Class IV, Non-Gazetted	Rs. 70—1—80—EB—1—83.	Not applicable.	18—25 years.	*Essential* : (i) Middle School Standard pass with English. (ii) Previous expereince of work in a Laboratory. *Desirable* : Ability to read and write an Indian language.
5. Khalasi	6	Do.	Rs. 70—1—80—EB—1—85.	Do.	18—25 years.	Ability to read and write any Indian language and English.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years.	Direct Recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicale
No.	2 years.	100% by promotion, failing which by direct recruitment.	Peons and Technical labourers (unskilled) with 3 years service in the grade.	DPC Class IV.	Do.
Not applicable.	2 years.	Direct Recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Do.	2 years.	Do.	Do.	Do.	Do.

[No. F. 1-6/72-Sur.'2.]
S. R. AGARWAL, Under Secy.

विज्ञान और प्राद्योगिक विभाग

नई दिल्ली, 7 अगस्त 1972

जी० एस० आर० 1130—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्राद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय एटलस संस्था में वर्ग 4 पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.—(1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय एटलस संस्था (वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना**: ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं**:— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं:

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विहित अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के सम्बंध में शिथिल की जा सकेगी;

5. **निरर्हताएं**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ।

उक्त पदों में से किसी में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबात, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति**.—इन नियमों की कोई भी बात उन आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

राष्ट्रीय एटलस संस्था के वर्ग 4 पदों के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु
1	2	3	4	5	6
1. मशीनमैन	2	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4, अराजपत्रित	85-2-95-3-110.50	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परिवीक्षा की कालावधि; यदि हो	
	विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	
7	8	9
(i) मिडिल स्कूल स्टैण्डर्ड पास; विद्युत द्वारा और पेडल द्वारा प्रचालित ट्रेडल मुद्रण मशीन को प्रचालित करने की योग्यता।	लागू नहीं होता 6	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
10	11	12	13
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
2. कम्पोजिटर	2	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4, अराजपत्रित	85–2–95–3–110 रु०	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष

7	8	9
आवश्यक (i) मिडिल स्कूल प्रमाण पत्र (अंग्रेजी सहित) (ii) किसी प्रेस में अक्षरयोजन कार्य में अनुभव । (iii) हैण्ड प्रेस या ट्रेडल मशीन को प्रचालित करने का अनुभव (iv) प्रूफ शोधन का ज्ञान । वांछनीय : हिन्दी पढ़ने और लिखने की योग्यता ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

10	11	12	13
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
3. पैकर	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4, अराजपत्रित	75–1–85–द०रो० –2–95 द०	अचयन	18 से 25 वर्ष

7	8	9
आवश्यक : अंग्रेजी ले कर मिडिल स्कूल स्टैण्डर्ड पास वांछनीय : (i) प्रेस या प्रकाशन फर्म में पैकिंग के काम का अनुभव । (ii) हिन्दी पढ़ने और लिखने की योग्यता ।	नहीं	2 वर्ष

10	11	12	13
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	चपरासी और तकनीकी श्रमिक (अकुशलता) जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा कर ली है ।	वर्ग 4, विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
4. प्रयोग शाला परिचर	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4, अराजपत्रित	रु० 70–1–80–द०रो०–1–85	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष

7	8	9
आवश्यक: (i) अंग्रेजी ले कर मिडिल स्कूल स्टैण्डर्ड पास । (ii) किसी प्रयोगशाला में काम का पूर्वअनुभव ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष
वांछनीय: कोई भारतीय भाषा पढ़ने और लिखने की योग्यता ।		

10	11	12	13
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
5. खलासी	6	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4, अराजपत्रित	रु० 70–1–80 द० रो०–1–85	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष

7	8	9
कोई भारतीय भाषा और अंग्रेजी पढ़ने और लिखने की योग्यता ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

10	11	12	13
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० एफ० 1-6/72-सर० 2]

सीताराम अग्रवाल, अवर सचिव ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 10th July 1972

G.S.R. 1140.—In pursuance of the provisions of sub-clause (b) of clause 2 of the Fertiliser (Control) Order, 1957, the Central Government hereby empowers the Secretary, Agriculture Department, Government of Assam also to exercise the functions of the Controller under clauses 4 and 21 of the said Order in respect of the State of Assam.

[No. 10-35/71-MPRSTU.]

C. S. RANGACHARI, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1972

सा० का० नि० 1140.—उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के खण्ड 2 उपखण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, असम राज्य की बाबत उक्त आदेश के खण्ड 4 और 21 के अधीन नियंत्रक के कृत्यों का प्रयोग करने के लिए सचिव, कृषि विभाग, असम राज्य को भी एतद्द्वारा सशक्त करती है।

[सं० 10-35/71-एम० पी० आर० एस० टी० यू०]

सी० एस० रंगाचारी, अवर सचिव।

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

PORTS

(Transport Wing)

New Delhi, the 2nd June 1972

G.S.R. 1141.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Andaman Laccadive Harbour Works (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1969, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. ALHW/ADM/ESTT/1(23)/68 dated 30th April, 1969, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Andaman Laccadive Harbour Works (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Andaman Laccadive Harbour Works (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1969, under the heading "Part I Class III posts", against items 5, 7, 8 and 9, in column 6, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Minimum 18 years
Maximum 25 years".

[No. ALHW/ADM/ESTT/1(10)/72.]

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

पत्तन

नई दिल्ली, 2 जून, 1972

जी०एस०आर० 1141.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारत सरकार के नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की सूचना संख्या ए एल एच डब्ल्यू/एडीएम/स्थापना/1(23)/68 दिनांक 30 अप्रैल, 1969 के साथ प्रकाशित अंडमान लक्कादीव बन्दरगाह कार्य (श्रेणी III तथा श्रेणी IV पद) भर्ती नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. (1) ये नियम अंडमान लक्कादीव बन्दरगाह कार्य (श्रेणी III तथा श्रेणी IV पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम, शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अंडमान लक्कादीव बन्दरगाह कार्य (श्रेणी III तथा श्रेणी पद) भर्ती नियम 1969 की अनुसूची में "भाग 1 श्रेणी III पद" शीर्षक के अंतर्गत कालम 6 में 5, 7, 8 तथा 9 मदों के सामने वाली प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी:—

"कम से कम 18 वर्ष,

अधिक से अधिक 25 वर्ष"।

[सं० एएलएचडब्ल्यू/एडीएम/ईएसटीटी/1(10)/72]

G.S.R. 1142.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Minor Ports Dredging and Survey Organisation (Survey Wing) (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1967, published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Aviation, Department of Transport and Shipping (Transport Wing) No. 4-PE(7)/64 dated 4th March, 1967, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Minor Ports Dredging and Survey Organisation (Survey Wing) (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Minor Ports Dredging and Survey Organisation (Survey Wing) (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1967, against items 4 and 5 in column 6, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Minimum 18 years

Maximum 25 years".

[No. ALHW/ADM/SMS/1(3)/72.]

सा०का०नि० 1142.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन और विमानन मंत्रालय के परिवहन तथा नौवहन (परिवहन पक्ष) विभाग की अधिसूचना संख्या 4-पीई(7) 64 दिनांक 4 मार्च, 1967 के साथ प्रकाशित छोटे पत्तन निकर्षण तथा सवेक्षण संगठन (सर्वेक्षण पक्ष) (श्रेणी तथा श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. (1) ये नियम छोटे पत्तन निकषण तथा सर्वेक्षण संगठन (सवेक्षण पक्ष) (श्रेणी III तथा श्रेणी IV पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. छोटे पत्तन निकर्षण तथा सवेक्षण संगठन (सर्वेक्षण पक्ष) (श्रेणी III तथा श्रेणी IV पद) भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची में स्तम्भ 6 की मद 4 और 5 के सामने वाली प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए:—

"कम से कम 18 वर्ष

अधिक से अधिक 25 वर्ष"।

[नं० ए एल एच डब्लू/ए डी एम/एम एस एस/1 (3)/72]

New Delhi, the 31st July 1972

G.S.R. 1143.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Mangalore Harbour Project (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1966, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mangalore Harbour Project (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Mangalore Harbour Project (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1966, under the heading 'PART I CLASS III POSTS', against Serial number I relating to the post of 'Lower Division Clerk/Stenographer/Cashier' in column 11, in item (a) (ii),—

(a) for the figures '40' the figures '45' shall be substituted,

(b) for the figures '45' the figures '50' shall be substituted.

[No. 5-PE(15)/72.]

B. NATARAJAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1972

सा०का०नि० 1143.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंगलौर बंदरगाह परियोजना वर्ग III तथा वर्ग IV पद भर्ती नियम 1966 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम मंगलौर बन्दरगाह परियोजना (वर्ग III तथा वर्ग IV पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मंगलौर बन्दरगाह परियोजना वर्ग III तथा वर्ग IV पद) भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची में "भाग 1 वर्ग III पद" शीर्ष के अधीन अवर श्रेणी लिपिक/स्टैनोटाइपिस्ट/कोषाध्यक्ष के पदों से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने स्तम्भ 11 के मद (क) (ii) में—

(क) संख्या "40" के स्थान पर संख्या "45" प्रतिस्थापित की जाएगी।

(ख) संख्या "45" के स्थान पर संख्या "50" प्रतिस्थापित की जाएगी।

[सं० 5-पी०ई० (15)/72]

बी० नटराजन, अवर सचिव।

(Transport Wing)

New Delhi, the 19th August 1972

G.S.R. 1144.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 35 of the Indian Ports Act 1908 (15 of 1908) the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Shipping (Transport Wing) No. G.S.R. 531, dated the 4th April, 1967, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification, under the heading "II-Berth Hire Charges", under the sub-heading "A-Steamers", in Note (2), in the fifth proviso, the words and figures "plus a surcharge of 15 per cent" shall be omitted.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 13-PG(7)/71.]

SMT. B. NIRMAL, Under Secy.

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1972

सा० का० नि० 1144.—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन और नौवहन मंत्रालय (परिवहन स्कन्ध) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 531, तारीख 4 अप्रैल, 1967 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, "II—घाट भाड़ा प्रभार" शीर्षक के अधीन "क—वाष्पयान" उपशीर्षक में "तथा 15 प्रतिशत अधिभार" शब्द और अंक लुप्त कर दिए जाएंगे ।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[सं० 13-पी० जी० (7)/71]

श्रीमती बी० निर्मल, अवर सचिव ।

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(Works Division)

New Delhi, the 17th August 1972

G.S.R. 1145.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Engineering Service, Class I Recruitment Rules 1954, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Engineering Service, Class I Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 3.**—In the Central Engineering Service Class I Recruitment Rules, 1954 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(d) by deputation or short term contract in accordance with Part VI of these rules."

3. **Insertion of Part VI.**—In the said rules, after Part V, the following part shall be inserted, namely:—

"PART VI

Recruitment by deputation or short term contract

25. Notwithstanding anything contained in these rules, the Government may fill any vacancy in the grade of Executive Engineer and above by temporary appointment of an expert in any branch of Engineering or such other allied scientific profession, as may be appropriate to the post, who belongs to Central Government Service or the service of any State Government or University or is engaged in the practice of the profession:

Provided that,

(i) no such appointment shall be made for a period of more than three years at a time;

(ii) no such appointment shall be made otherwise than in consultation with the Union Public Service Commission;

(iii) such an expert may be appointed on contract basis on such salary and other terms of service as may be settled by Government in each case in consultation with the Union Public Service Commission.

(iv) the total number of vacancies so filled shall not exceed at any time five per cent of the authorised strength of the Service; and

(v) in each grade of the service vacancies in not more than one third of the posts shall be filled by such appointment."

[No. 22011A(3)/71-EWI.]

निर्माण और आवास मन्त्रालय

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1972

सा० का० नि० 1145.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा वर्ग 1 भर्ती नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा, वर्ग 1 भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 होगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3 का संशोधन :—केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा, वर्ग 1 भर्ती नियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों कहा गया है), में, नियम 3 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त: स्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"(घ) इन नियमों के भाग 6 के अनुसार प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा।"

3. भाग 6 का अन्त: स्थापन :—उक्त नियमों में, भाग 5 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्त: स्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"भाग 6

प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा भर्ती

25. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, सरकार कार्यपालक इंजीनियर और उससे ऊपर की श्रेणी में की किसी रिक्ति को, इंजीनियरी की किसी शाखा में या ऐसी अन्य सहबद्ध वैज्ञानिक वृत्ति में, जो पद के लिए उपयुक्त हो, किसी ऐसे विशेषज्ञ की अस्थायी नियुक्ति द्वारा भर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार की सेवा या किसी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय की सेवा में हो या जो ऐसी वृत्ति कर रहा हो :

परन्तु,—

(i) कोई ऐसी नियुक्ति किसी एक समय पर तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जायगी।

(ii) कोई ऐसी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के बिना नहीं की जाएगी ;

(iii) ऐसा विशेषज्ञ ऐसे वेतन और सेवा के अन्य निबन्धनों पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा जैसे सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से प्रत्येक मामले में तय किए जाएं।

(IV) इस प्रकार भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या किसी समय पर सेवा की प्राधिकृत संख्या के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ; और

(V) सेवा की प्रत्येक श्रेणी में, पदों के एक-तिहाई से अनधिक रिक्तियां ऐसी नियुक्तियों द्वारा भरी जाएंगी ।

[सं० 22011ए(3)/71-ई०डब्ल्यु० I]

G.S.R. 1146.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Electrical Engineering Service, Class I Recruitment Rules, 1954, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Electrical Engineering Service, Class I Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 3.**—In the Central Electrical Engineering Service Class I Recruitment Rules, 1954 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(d) by deputation or short term contract in accordance with Part VI of these rules."

3. **Insertion of Part VI.**—In the said rules, after Part V, the following Part shall be inserted, namely:—

"PART VI

Recruitment by deputation or short term contract

25. Nothwithstanding anything contained in these rules, the Government may fill any vacancy in the grade of Executive Engineer and above by temporary appointment of an expert in any branch of Engineering or such other allied scientific profession, as may be appropriate to the post, who belongs to Central Government Service or the service of any State Government or University or is engaged in the practice of the profession:

Provided that,

(i) no such appointment shall be made for a period of more than three years at a time;

(ii) no such appointment shall be made otherwise than in consultation with the Union Public Service Commission;

(iii) such an expert may be appointed on contract basis on such salary and other terms of service as may be settled by Government in each case in consultation with the Union Public Service Commission.

(iv) the total number of vacancies so filled shall not exceed at any time five per cent of the authorised strength of the Service; and

(v) in each grade of the service, vacancies in not more than one-third of the posts shall be filled by such appointment."

[No. 22011A(3)/71-EWI.]

सा० का० नि० 1146.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत-इंजीनियरि सेवा वर्ग 1 भर्ती नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए एतद्-द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय विद्युत-इंजीनियरी सेवा, वर्ग 1 भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2. नियम 3 का संशोधन:—केन्द्रीय विद्युत-इंजीनियरी सेवा वर्ग 1 भर्ती नियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों कहा गया है) में, नियम 3 में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"(घ) इन नियमों के भाग 6 के अनुसार प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा ।"

3. भाग 6 का अन्तः स्थापन :—उक्त नियमों में, भाग 5 के पश्चात्, निम्नलिखित भाग अन्तः स्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"भाग 6

प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा भर्ती

25. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, सरकार, कार्यपालक इंजीनियर और उससे ऊपर की श्रेणी में किसी रिक्ति को, इंजीनियरी की शाखा में या ऐसी अन्य सहबद्ध वैज्ञानिक वृत्ति में, जो पद के लिए उपयुक्त हो, किसी ऐसे विशेषज्ञ की अस्थायी नियुक्ति द्वारा भर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार की सेवा या किसी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय की सेवा में हो या जो ऐसी वृत्ति कर रहा हो :

परन्तु,—

(i) कोई ऐसी नियुक्ति किसी एक समय पर तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जाएगी ;

(ii) ऐसी कोई नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के बिना नहीं की जाएगी ;

(iii) ऐसा विशेषज्ञ, ऐसे वेतन और सेवा के अन्य निबन्धनों पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा जैसे सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से प्रत्येक मामले में तय किए जाएं ;

(iv) इस प्रकार भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या किसी समय पर सेवा की प्राधिकृत संख्या के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ; और

(V) सेवा की प्रत्येक श्रेणी में, पदों के एक-तिहाई से अनधिक रिक्तियां ऐसी नियुक्तियों द्वारा भरी जाएंगी ।

[सं० 22011 ए(3)/71-ई०डब्ल्यू० I]

G.S.R. 1147.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Public Works Department Architectural Staff (Gazetted) Recruitment Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Public Works Department Architectural staff (Gazetted) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Insertion of rule 4-A.**—In the Central Public Works Department Architectural Staff (Gazetted) Recruitment Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:—

"4-A. Notwithstanding anything contained in these rules, the Government may fill any vacancy in the grade of an Architect and above by the temporary appointment of an expert in any branch of Architecture or such other allied scientific profession, as may be appropriate to the post, who belongs to Central Government Service or the Service of any State Government or University or is engaged in the practice of the profession:

Provided that,

(i) no such appointment shall be made for a period of more than three years at a time;

(ii) no such appointment shall be made otherwise than in consultation with the Union Public Service Commission;

(iii) such an expert may be appointed on contract basis on such salary and other terms of service as may be settled by Government in each case in consultation with the Union Public Service Commission;

(iv) the total number of vacancies so filled shall not exceed at any time five per cent of the authorised strength of Class I Gazetted posts; and

(v) in each grade of the Class I Gazetted posts, vacancies in not more than one-third of the posts shall be filled by such appointments."

[No. 22011(3)/71-EWI.]

P. B. KULKARNI, Under Secy.

सा० का० नि० 1147.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग वास्तु-कर्मचारिवृन्द (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग वास्तु-कर्मचारिवृन्द (राजपत्रित) की भर्ती संशोधन नियम, 1972 होगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4-क का अन्तःस्थापन.—केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग वास्तु-कर्मचारिवृन्द (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों कहा गया है) में, नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"4-क—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, सरकार, वास्तु कला और उससे ऊपर की श्रेणी में किसी रिक्ति को, वास्तुकला की किसी शाखा में या ऐसी अन्य सहबद्ध वैज्ञानिक वृत्ति में जो पद के लिए उपयुक्त हो, किसी विशेषज्ञ की अस्थायी नियुक्ति द्वारा भर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार की सेवा या किसी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय की सेवा में हो या जो ऐसी वृत्ति कर रहा हो :

परन्तुक, —

(i) कोई ऐसी नियुक्ति किसी एक समय पर तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जाएगी ;

(ii) कोई ऐसी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के बिना नहीं की जाएगी ;

(iii) ऐसा विशेषज्ञ ऐसे वेतन और सेवा के अन्य निबन्धनों पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा जैसे सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से प्रत्येक मामल में तय किए जाएं।

(iv) इस प्रकार भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या किसी समय पर व 1 राजपत्रित पदों की प्राधिकृत संख्या के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ; और

(v) वर्ष 1 राजपत्रित पदों की प्रत्येक श्रेणी में, पदों के एक तिहाई से अनधिक रिक्तियां ऐसी नियुक्तियों द्वारा भरी जाएंगी।

[सं० 22011(3)71-ई० डब्ल्यू० I]

पी० बी० कुलकर्णी अवर सचिव।

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 23rd August 1972

G.S.R. 1148.—The following draft regulations further to amend the Coal Mines Regulations, 1957, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 57 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), is published, as required by sub-section (1) of section 59 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect of the said draft before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

Draft Regulations

1. These regulations may be called the Coal Mines (Amendment) Regulations, 1972.

2. For regulation 35 of the Coal Mines Regulations, 1957, the following regulation shall be substituted, namely:—

"35. *Appointment of surveyors.*—(1) At every mine, one or more persons not less than 23 years of age and holding a Surveyor's Certificate shall be appointed to be the Surveyor for carrying out the surveys and levellings and for preparing the plans and sections required under the Act or the regulations, or orders made thereunder.

(2) No person shall be appointed as a surveyor of more than one mine or in any other capacity in the same mine, without the previous permission in writing of the Regional Inspector and subject to such conditions as specified therein. The Regional Inspector may at any time by an order in writing, revoke such permission;

Provided that such permission may be granted only when the average monthly output of the mine does not exceed 2,500 tonnes.

(3) (a) The number of surveyors required to be appointed shall be on the following scale:

The average monthly output in tomes.	*No. of Surveyors.*
8,000 tonnes and below....	One
Above 8,000 toones	One for every additional 15,000 tonnes or part thereof.

Provided that for calculating the output of the mine only half the output in the mine obtained from the depillaring operations or from the opencast mines shall be taken into consideration.

(b) Notwithstanding anything contained in this regulation the Regional Inspector may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, permit or require the appointment of surveyors in variation of these provisions.

(4) If a time has more than one surveyor each shall carry the duties and the responsibilities of the surveyor for the part or section of the mine to be assigned in writing by the owner, agent or manager:

Provided that the owner, agent or manager shall appoint one of the surveyors to be responsible for the preparation and maintenance of the plans required to be prepared and maintained under these regulations who shall also be responsible for co-ordination and overall supervision of survey work in the mine.

[No. S-66012/3/72-M.I.]

B. K. SAKSENA, Under Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय
(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 23 अगस्त 1972

सा० का० नि० 1148—कोयला खान विनियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम-प्रारूप को जिन्हें केन्द्रीय सरकार खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित तद्द्वारा संभावतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 3 मास की अवधि की समाप्ति पर या पश्चात् विचार किया जायगा ।

उक्त प्रारूप के बारे में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी व्यक्ति से जो आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायगा।

प्रारूप विनियम

1. ये विनियम कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

2. कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 35 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जायगा अर्थात् :—

35. सर्वेक्षकों की नियुक्ति :—(1) प्रत्येक खान में एक या अधिक ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी आयु 23 वर्ष से कम न हो और जिनके पास सर्वेक्षक का प्रमाण-पत्र हो, सर्वेक्षण और तल-मापन करने के लिए तथा अधिनियम या विनियमों या तदधीन बनाए गए आदेशों के अधीन अपेक्षित रेखांक और खण्ड तैयार करने के लिए सर्वेक्षक नियुक्त किया जायगा ।

(2) किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक खानों का सर्वेक्षक या उसी खान में किसी अन्य हैसियत में प्रादेशिक निरीक्षक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त नहीं किया जायगा। प्रादेशिक निरीक्षक ऐसी अनुज्ञा को, किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा प्रतिसंहृत कर सकेगा ;

परन्तु ऐसी अनुज्ञा केवल तभी दी जा सकेगी जबकि खान का औसत मासिक उत्पाद 2500 टन से अनधिक हो।

(3) (क) नियुक्ति किए जाने के लिए अपेक्षितसर्वेक्षकों की संख्या निम्नलिखित मापानुसार होगी ;

टनों में औसत मासिक उत्पाद	सर्वेक्षकों की संख्या
8000 टन और उससे कम	एक
8000 टन से अधिक	प्रति अतिरिक्त 15000 टन या उसके किसी भाग के लिए एक

परन्तु खान के उत्पाद की संगणना करने के लिए खनिज सक्रिया या विवृत खनन से अभिप्राप्त केवल आधे उत्पाद को ध्यान में रखा जाएगा।

(ख) विनिमय में किसी बात के होते हुए भी प्रादेशिक निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के आधीन जो वह जिन्हें उसमें विनिर्दिष्ट करें, इन उपबन्धों से भिन्न रूप में सर्वेक्षकों की नियुक्ति को अनुज्ञात या अपेक्षित कर सकेगा।

(4) यदि किसी खान में एक से अधिक सर्वेक्षक हों तो प्रत्येक सर्वेक्षक खान के उस भाग या खण्ड के लिए सर्वेक्षक के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा जो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा लिखित रूप में समनुदेशित किया जाए ;

परन्तु स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक सर्वेक्षकों में से एक को इन विनियमों के अधीन निर्मित किया जाने या बनाए रखने के लिए अपेक्षित रेखांकों के निर्माण और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी नियुक्त करेगा और जो खानों में सर्वेक्षण कार्य में समन्वय और पूरी तौर पर सर्वेक्षण के लिए भी उत्तरदायी होगा।

[सं० एस-66012/3/72-एमआई]

बी० के० सक्सेना अवर सचिव।

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 16th September 1972

G.S.R. 1149.—Under Rule 5(i) of Order IV, Supreme Court Rules, 1966, and Regulation (2) of the Regulations regarding Advocates-on-Record Examination made thereunder governing the Examination for Advocates-on-Resord, it is hereby notified for the information of all concerned that Examination for Advocates-on-Record will be held in the Supreme Court premises, New Delhi, on Saturday the 23rd and Sunday the 24th December 1972.

2. All Advocates who will be completing one year's continuous training on or before the 30th November 1972 are eligible to appear for the aforesaid Examination.

3. Applications should reach the Secretary not later than Thursday the 23rd November 1972. The application form may be obtained from the Secretary on any working day during office hours.

4. Applications will be accepted provisionally subject to the production of the requisite certificate relating to the required training from the Advocate-on-Record concerned as soon as possible and in any case not later than Monday the 4th December, 1972 shall not be entertained.

[No. 20/72-A.R.(Sec. I).]

By Order of the Court,

M. P. SAXENA, Secy.
Board of Examiners,
Advocates-on-Record Examination.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 3rd July 1972

G.S.R. 1150.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Small Scale Industries Organisation [Class I and II (gazetted) posts] Recruitment Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Small Scale Industries Organisation [Class I and II (gazetted) posts] Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Small Scale Industries Organisation [Class I and II (gazetted) posts] Recruitment Rules 1962 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, for the words and II (gazetted) posts], Recruitment Rules, 1962 (herein- "Schedules I to IX" shall be substituted.

3. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—

"4. *Disqualification.*—No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule."

4. In the said rules, after Schedule VIII, the following Schedule shall be inserted, namely ;

"SCHEDULE IX" *Export Promotion Division*

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
1. Director Grade I	1	General Central Service, Class I, Gazetted	Rs 1100—50—1300-60—1600—100—1800	Not applicable.	45 years(Relaxable for Government servants)	*Essential* (*i*) Master's degree in Economics or Commerce with specialisation in Business Administration[Export Promotion, from a recognised University /Institution or equivalent. (*ii*) About 12 years' experience in a responsible supervisory capacity in Government or in an Industrial/Business concern of repute in the field of export promotion. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable* (*i*) Post Graduate/doctoral Research/Work in foreign trade preferably with special reference to small scale industries. (*ii*) Some Administrative experience.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulations, 1958.

1	2	3	4	5	6	7
2. Deputy Director	6	General Central Service, Class I, Gazetted.	Rs. 700—40—1100—50/2—1250.	Not applicable	40 years (Relaxable for Government servants)	*Essential* : (*i*) Master's degree in Economics or Commerce with specialisation in Business Administration/ Export Promotion from recognised University/Institution or equivalent. (*ii*) About 7 years experience in responsible capacity in Government or in an Industrial/Business concern of repute in the field of export promotion. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified.) *Desirable* (*i*) Institutional training in foreign trade. (*ii*) Some Administrative experience.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission Exemption from consultation) Regulations, 1958.

[No. A./12018/S/71-E.I]

G. RAMANATHAN, *Under Secy.*

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1972

सा०का०नि० 1150.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लघु उद्योग संगठन (वर्ग 1 और वर्ग 2 राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1962 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम लघु-उद्योग संगठन (वर्ग 1 और वर्ग 2 राजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारख को प्रवृत होंगे ।

2. लघु-उद्योग संगठन (वर्ग 1 और वर्ग 2 राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1962 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम निर्दिष्ट किया गया है), नियम 2 में "अनुसूची 1 से 8" शब्द और अकों के स्थान पर "अनुसूची 1 से 9" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

3. उक्त नियमों में, नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

4. निरर्हताएं—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

4. उक्त नियमों में, अनुसूची 8 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची 9

निर्यात प्रोन्नति प्रभाग

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1. निदेशक (श्रेणी 1)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 राजपत्रित	1110–50–1300–60–1600–100–1800 रु०	लागू नहीं होता	45 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) ।

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आय और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कारबार प्रशासन/निर्यात प्रोन्नति में विशेषज्ञता सहित अर्थशास्त्र या वाणिज्य में मास्टर की उपाधि या समतुल्य । (ii) सरकार में या निर्यात प्रोन्नति के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त औद्योगिक/कारबार समुत्थान में उत्तरदायी पर्यवेक्षणीय हैसियत में लगभग 12 वर्ष का अनुभव । (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं आयोग के विवेकानुसरा शिथिल की जा सकती है)] वांछनीय (i) स्नातकोत्तर डाक्टरी (डाक्टोरल)/अनुसंधान/विदेश व्यापार में, अधिमानतः लघु उद्योगों से सम्बद्ध कार्यों में विशेषता सहित ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो तो उस की संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित ।

1	2	3	4	5	6
2. उपनिदेशक	6	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 राजपत्रित	700–40–1100–50/2–1250 रु०	लागू नही होता	40 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) ।

7	8	9
आवश्यक (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्था से कारबार प्रशासन/ निर्यात प्रोन्नति में विशेषज्ञता सहित अर्थशास्त्र या वाणिज्य में मास्टर की उपाधि या समतुल्य । (ii) सरकार में या निर्यात प्रोन्नति के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त औद्योगिक/ कारबार समुत्थान में उत्तरदायी पर्यवेक्षणीय हैसियत लगभग 7 वर्ष का अनुभव । (अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों को दशा में अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है) वांछनीय (i) विदेश-व्यापार में संस्थागत प्रशिक्षण । (ii) कुछ प्रशासनिक अनुभव ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित

[सं० ए–120/18/5/71–ई० 1]

जी० रमानाथन, अवर सचिव ।

New Delhi, the 16th August 1972

G.S.R. 1151.—The following draft rules further to amend the Petroleum Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 4, sub-section (2) of section 5 sub-section (2) of section 14, sections 21 and 22, and sub-section (1) of section 29, of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), are hereby published, as required by sub-section (2) of section 29 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after one month from the date of the publication of the said notification.

Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft before the date so specified will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Rules

1. These rules may be called the Petroleum (1st Amendment) Rules, 1972.

2. In sub-rule (3) of rule 27 of the Petroleum Rules, 1937, (hereinafter referred to as the said rules) the first proviso shall be omitted.

3. In rule 50 of the said rules, in sub-rule (1), the words "or Karachi" shall be omitted.

4. In rule 73 of the said rules, in clause (1), the proviso shall be omitted.

5. In rule 115 of the said rules, for sub-rule (3A), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"3(A). Where the District Authority refuses to grant a no objection certificate to the applicant, or where the District Authority or the State Government, as the case may be, cancels or withdraws a no objection certificate granted under sub-rule (3), the District Authority or the State Government, as the case may be, shall give the applicant, or the holder of the no objection certificate an opportunity of being heard and shall record, in writing, the reasons for such refusal cancellation or withdrawal and shall furnish the applicant or the holder of the no objection certificate, as the case may be, with a copy of any such Order."

6. In rule 120 of the said rules—

(a) to sub-rule (1) the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that before refusing to grant, amend or renew a licence under this rule, the applicant shall be given an opportunity of being heard."

(b) in sub-rule (2), the words "on payment of a fee of rupees two" shall be omitted.

7. In rule 121 of the said rules-(A) in sub-rule (1), for clause (iii), the following clause shall be substituted namely:—

"(iii) shall be liable to be suspended or cancelled by an order of the licensing authority for any contravention of the Act or of any rule made thereunder or of any condition contained in such licence, or by an order of the Central Government, if it is satisfied that there are sufficient grounds for doing so.

Provided that before suspending or cancelling a licence under this rule, the holder of such licence shall be given an opportunity of bing heard.

Provided further that no such opportunity shall be given in cases,

(a) Where the licence is being suspended for violation of any of the provisions of the Act of these rules, or of any condition contained in such licence and in the opinion of the licensing authority, such violation is likely to cause danger to the public or

(b) where the licence is suspended or cancelled by the Central Government, if that Government considers that in the public interest or in the interest of the security of the State, such opportunity should not be given."

(B) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) A Licensing authority or the Central Government, suspending or cancelling a licence under sub-rule (1), shall record its reasons for so doing in writing."

(C) sub-rule (3) shall be omitted.

(D) sub-rule (4) shall be re-numbered as sub-rule (2) thereof, and in the sub-rule as so re-numbered, the words "on payment of fee of two rupees" shall be omitted.

[No. 10/89/71-LI(II).

M. SUBRAMANYAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1972

जी० एस० आर० 1151.— पैट्रोलियम नियम, 1937 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिन्हें केन्द्रीय सरकार पैट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4, धारा 5 की उपधारा (2), धारा 14 की उपधारा (2), धारा 21 और 22 तथा धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) द्वारा यथाअपेक्षित, एतद्द्वारा संभावतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के एक मास पश्चात् विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप की बाबत किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. ये नियम पैट्रोलियम (प्रथम संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

2. पैट्रोलियम नियम, 1937 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 27 के उपनियम (3) में, प्रथम परन्तुक को लुप्त कर दिया जाएगा ।

3. उक्त नियम के नियम 50 में, उपनियम (1) में "या कराची" शब्द लुप्त कर दिए जाएंगे ।

4. उक्त नियम के नियम 73 में, खण्ड (1) में, परन्तुक को लुप्त कर दिया जाएगा ।

5. उक्त नियम के नियम 115 में, उपनियम (3क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3क) जहां जिला प्राधिकारी आवेदक को अनापत्ति प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर देता है, या जहां, यथास्थिति जिला प्राधिकारी या राज्य सरकार उपनियम (3) के अधीन अनुदत्त अनापत्ति प्रमाणपत्र को रद्द कर देती है या प्रत्याहृत कर लेती है, वहां, यथास्थिति, जिला प्राधिकारी या राज्य सरकार आवेदक को या अनापत्ति प्रमाणपत्र-धारक को सुनवाई का एक अवसर देगी और ऐसी इन्कारी, रद्दकरण या प्रत्याहरण के कारणों को लेखबद्ध करेगी और यथास्थिति, आवेदक को या अनापत्ति प्रमाणपत्र के धारक को किसी ऐसे आदेश की एक प्रति देगी ।

6. उक्त नियम के नियम 120 में—

(क) उपनियम (1) के साथ निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

'परन्तु इस नियम के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को अनुदत्त संशोधित या नवीकृत करने से इन्कार करने से पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।"

(ख) उपनियम (2) में, "दो रुपए की फीस का संदाय करने पर" शब्द लुप्त कर दिए जाएंगें ।

7. उक्त नियम के नियम 121 में (क) उपनियम (1) में खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के पर्याप्त कारण हैं, तो अधिनियम के या तदधीन बनाए गए किसी नियम के या ऐसी अनुज्ञप्ति में अन्तर्विष्ट किसी शर्त के किसी भी उल्लंघन के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश द्वारा, या केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा निलम्बित या रद्दकृत होने के दायित्वाधीन होगी;

परन्तु इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने से पूर्व ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक को सुनवाई का अवसर दिया जायगा

परन्तु यह और कि ऐसा अवसर उन मामला में नहीं दिया जाएगा,

(क) जहां अनुज्ञप्ति का निलम्बन अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों में से किसी के या ऐसी अनुज्ञप्ति में अन्तर्विष्ट किसी शर्त के अतिक्रमण के के कारण किया जा रहा हो और अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में ऐसे अतिक्रमण से सर्वसाधारण को खतरा होना संभाव्य हो; या

(ख) जहां, अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा निलम्बित या रद्दकृत की गई हो, यदि उस सरकार का विचार हो कि सर्वसाधारण के हित या राज्य की सुरक्षा के हित की दृष्टि से ऐसा अवसर नही दिया जाना चाहिए ।"

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगी ।"

(ग) उपनियम (3) लुप्त कर दिया जाएगा ।

(घ) उपनियम (4) को उपनियम (3) के रूप में पुनःसंख्यांकित कर दिया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपनियम में "दो रुपए की फीस का संदाय करने पर" शब्द लुप्त कर दिए जाएंगे ।

एम० सुब्रमण्यमन, अवर सचिव ।

सं० 10/89/71-एल० आई० (II)]

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

New Delhi, the 1st September 1972

G.S.R. 1152.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the India Forest Service (Pay) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Forest Service (Pay) fourth Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, to sub-rule (2) of rule 4, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that, if direct recruit holds a lien, or would hold the lien, had his lien not been suspended, on a permanent post, under the rules applicable to him prior to his appointment to the Indian Forest Service,—

(a) his initial pay shall be regulated as follows:—

(i) he shall, during the period of probation draw the pay of the permanent post, if it is more than the minimum of the junior scale;

(ii) on confirmation in the Indian Forest Service;

(1) if he was holding a Class I post before appointment to the Indian Forests Service, his pay shall be fixed at the same stage as the pay in the Class I post if there be such a stage in the junior scale admissible to a member of the Service, or at the next lower stage if there is no such stage in

the junior scale admissible to a member of the Service, where the pay so fixed in the Indian Forest Service is less than his pay in the Class I post, he shall be allowed the difference as personal pay to be absorbed in future increments; and

(2) if he was holding a post lower than a Class I post, his pay shall be fixed at a stage next above the pay nationally arrived at by increasing his pay in respect of the lower post by one increment at the stage at which such pay had accrued;

(b) he shall, however cease to earn any increments in the junior scale, until, having regard to his length of service, he becomes entitled to a higher pay:

Provided further that he shall draw the pay admissible under rule 7 if that is more than the pay referred to in the preceding proviso."

[No. 8/20/72-AIS(IV).]

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली 1 सितम्बर, 1972

सा का नि 1152:—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श के बाद भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन, नियम, 1972 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 के नियम 4 के उप नियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक जोड दिए जायेंगे, अर्थात :—

"किन्तु यह कि यदि कोई सीधी भर्ती किया गया अधिकारी किसी स्थायी पद पर, भारतीय वन सेवा में उसकी नियुक्ति के पूर्व उस पर लागू होने वाले नियमों के अन्तर्गत अपना लियन रखता है या भविष्य में रखेगा, यदि उसका लियन समाप्त नहीं किया गया होता तो,

(क) उसके आरम्भिक वेतन का विनियम निम्नलिखित रूप में किया जायगा ।

(i) परिवीक्षा की अवधि के दौरान वह स्थायी पद का वेतन लेंगे, यदि वह कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम से अधिक होता है।

(ii) भारतीय वन सेवा में स्थायी होने पर,

(i) यदि वह भारतीय वन सेवा में नियुक्त होने के पहले श्रेणी—1 के पद पर कार्य कर रहा हो और यदि कोई ऐसी स्टेज इस सेवा के किसी सदस्य को देय कनिष्ठ वेतनमान में हो, तो उसका वेतन श्रेणी—1 के पद के वेतन के रूप में उसी स्टेज पर नियत किया जायगा अथवा यदि इस सेवा के किसी सदस्य को देय कनिष्ठ वेतनमान में ऐसी कोई स्टेज न हो, तो अगली निम्न स्टेज पर नियत किया जायगा। जहां भी उसका वेतन भारतीय वन सेवा में इस प्रकार से निश्चित श्रेणी—1 के पद के वेतन से कम नियत हुआ हो तो उसका अन्तर वैयक्तिक वेतन के रूप में दे दिया जायगा जिसे आगामी वेतन वृद्धियों में मिला दिया जायगा।

(ii) यदि वह श्रेणी—1 के पद की अपेक्षा किसी निम्न पद पर कार्य कर रहा हो तो उसका वेतन, निम्न पद के वेतन में उस स्टेज पर, जिस पर ऐसा वेतन उपार्जित किया गया हो, एक वेतन वृद्धि द्वारा प्राप्त काल्पनिक वेतन से ऊपर अगली स्टेज पर नियत किया जायगा।

(ख) उसे कनिष्ठ वेतनमान में तब तक वेतन वृद्धियां नहीं मिलेगी जब तक कि उसके सेवाकाल को देखते हुए वह अपेक्षाकृत अधिक वेतन का हकदार नहीं हो जाता।

यह भी व्यवस्था की जाती है कि वह नियम 7 के अन्तर्गत देय वेतन प्राप्त करेगा, यदि वह वेतन पूर्ववर्ती परन्तुक में उल्लिखित वेतन से अधिक हो।"

[संख्या 8/20/72—अ० भा० से० (4)]

New Delhi, the 3rd September 1972

G.S.R. 1153.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Forest Service (Probation) second Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 13, in the opening paragraph, for the words "reverted to his post in the State Service from which he was recruited", the words "reverted to the permanent post, on which he holds a lien, or would hold a lien, had it not been suspended, under the rules applicable to him prior to his appointment to the Service" shall be substituted.

3. In rule 14 of the said rules, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that, if the pay of the permanent post, on which a person, referred to in clause (i) holds a lien, or would hold a lien, had it not been suspended, under the rules applicable to him prior to his appointment to the Service is, at any time, more than the minimum of the junior time scale, he shall draw the pay of the permanent post."

[No. 7/26/72-AIS(IV).]

M. R. BHARDWAJ, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1972

सा० का० नि० 1153.—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सम्बद्ध राज्य सरकारों के परामर्श के बाद भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों को भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) दूसरा संशोधन नियम, 1972 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियम 1968 में (इसके बाद जिन्हें उक्त नियम कहा जाय) के नियम 13 प्रारम्भिक पैराग्राफ में "राज्य सेवा में अपने उस पद पर प्रत्यावर्तित, जिससे वह भर्ती हुआ था" शब्दों के स्थान पर "उस स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित, जिस पर इस सेवा में नियुक्ति के पूर्व उस पर लागू होने वाले नियमों के अन्तर्गत उसका लियन है या जिस पर वह अपना लियन रखेगा यदि उसका लियन सम्भवित नहीं किया गया होता" शब्द प्रतिस्थापित किये जाये ।

उक्त नियमों के नियम 14 के उप-नियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाय, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि ऐसे स्थायी पद का वेतन जिस पर खण्ड (1) में उल्लिखित कोई भी व्यक्ति यदि उसका लियन सम्भवित नहीं किया गया होता, उस सेवा में अपनी नियुक्ति के पूर्व, उस पर लागू होने वाले नियमों के अन्तर्गत अपना लियन रखता है या भविष्य में रखेगा, यदि वह किसी भी समय कनिष्ठ समय वेतनमान के न्यूनतम की अपेक्षा अधिक हो, तो वह स्थायी पद का वेतन प्राप्त करेगा ।"

[संख्या 7/26/72-अ० भा० से-1]

एम० आर० भारद्वाज, अवर सचिव ।

(Department of Personnel)

New Delhi, the 8th September 1972

G.S.R. 1154.—In pursuance of sub-rule (4) of the 12 of the Central Secretariat Service Rules, 1962, the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Central Secretariat Service (Promotion to Grade I and Selection Grade) Regulations, 1964, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Secretariat Service (Promotion to Grade I and Selection Grade) Amendment Regulations, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Service (Promotion to Grade I and Selection Grade) Regulations, 1964, for clause (c) of sub-regulation (2) of regulation 5, the following shall be substituted, namely:—

"(c) Officers other than those included in clauses (a) and (b) shall be arranged in the manner specified below :

(i) The names of officers appointed to the Section Officers' Garde before the appointed day and included in the Select Lists of Section Officers at the initial constitution under paragraph 1 of the Fourth Schedule to the Rules shall be arranged in the order of their seniority as determined before that day. Additions to this list shall be made by including officers appointed to the Section Officers' Grade after the appointed day through the Select List for the Grade, officers appointed on the basis of an earlier Select List being placed above those appointed on the basis of a later Select List, the order of names shall be in the same order as in the all-Secretariat Select Lists issued by the Department of Personel.

NOTE 1.—For the purpose of this sub clause, "the all-Secretariat Select Lists" shall mean the consolidaed version of the cadre-wise additions made to each Select List, following the same principles as laid down in paragraph 2 of the Fourth Schedule to the Rules.

(ii) In the list of Section Officers prepared under sub-clause (i), the names of those appointed to the Section Officers' Grade as direct recruits on the basis of the Combined Competitive Examinations, arranged in the order of merit in the Combined Competitive Examinations, persons appointed on the results of an earlier examination being placed above those appointed on the results of a later examination, shall be interpolated according to the quota of vacancies reserved for direct recruitment at the time of their recruitment.

Illustration

Where 75 percent of the substantive vacancies are reserved for the appointment of persons included in the Select List for the Grade and 25 per cent for direct recruitment, each direct recruit shall be ranked below three persons appointed from the Select List. Where the quotas for these two categories are 83 1|3 percent and 16 2|3 percent respectively every direct recruit shall be ranked below five persons appointed from the Select List. If, however, for any reason, a direct recruit or a person appointed to the Grade from the Select Lists subsequently ceases to hold the appointment in the Grade, the combined list referred to in sub-clause (ii) shall not be rearranged merely for the purpose of ensuring the proportions referred to.

(iii) In the Combined List of Section Officers prepared under sub-clauses (i) and (ii), the names of the officers of the erstwhile Grade I of the Central Secretariat Stenographers Service substantively appointed to the Section Officers' Grade against the Stenographers' quota who are not covered by clause (a) shall also be interpolated, by placing each such officer, subject to inter-se seniority among such officers in the cadre being maintained, immediately below the

juniormost Section Officer appointed to that Grade from the seniority quota for the Section Officers' Grade and having the same or greater length of approved service in that Grade.

NOTE.—For the purposes of this sub-clause and sub-clause (iv), approved Service in erstwhile Grade I of the Central Secretariat Stenographers' Service shall be deemed to be approved service in the Section Officer' Grade.

(iv) In the combined list of Section Officers prepared under sub-clauses (i), (ii) and (iii), the names of officers of the Selection Grade of the Central Secretariat Stenographers' Service not covered by clause (b) shall further be interpolated according to the length of their approved service in the Grade (including approved service in the erstwhile Grade I of the Central Secretariat Stenographers' Service in the case of officers appointed to the Selection Grade of that Service at the initial constitution) by placing each such officer immediately below the juniormost Section Officer appointed to that Grade from the seniority quota, the length of whose approved service in the Grade is more or equal to the length of continuous approved service of the former in the Selection Grade and erstwhile Grade I of the Central Secretariat Stenographers' Service."

[No. 4/31/72-CS(I).]

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली 8 सितम्बर, 1972

सा० सा० नि०. 1154.:— केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 के नियम 12 के उप-नियम (4) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड–1 और चयन ग्रेड में प्रोन्नति) विनियमावली, 1964 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

1. (1) ये विनियम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड 1 और चयन ग्रेड में प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड –1 और चयन ग्रेड में प्रोन्नति) विनियमावली, 1964 में–विनियम 5 के उप–विनियम (2) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात :—

(ग) खंड (क) और (ख) में सम्मिलित अधिकारियों को छोड़कर अन्य अधिकारी निम्नलिखित क्रम में रखे जाएंगे।

(i) नियत दिन से पहले अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों के नाम, जो नियमावली के चतुर्थ अनुसूची के पैरा 1 के अधीन प्रारंभिक गठन के समय अनुभाग अधिकारियों की चयन सूचियों में सम्मिलित हों, उनकी उप वरिष्ठता के क्रम में क्रमबद्ध किए जाएंगे जो उक्त दिन से पहले निर्धारित की गई हों। इस सूची में और नाम नियत दिन के बाद अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों को सम्मिलित करके उस ग्रेड की चयन सूची में से इस क्रम से सम्मिलित किए जाएंगे कि पहले की चयन सूची के आधार पर नियुक्त अधिकारियों से क्रम में पहले होंगे। उस नामावली का क्रम कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई सम्पूर्ण सचिवालय की चयन सूचियों में दिए गए क्रम के ही अनुसार होगा।

टिप्पणी :— इस उपखण्ड के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण सचिवालय चयन सूचियों का अभिप्राय केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 की चतुर्थ अनुसूची के पैरा 2 में निर्धारित सिद्धान्तों के ही अनुसार प्रत्येक चयन सूची में संयुक्त रूप से सम्मिलित किए गए समेकित रूप से होगा।

(ii) उपखण्ड (i) के अनुसार तैयार की गई अनुभाग अधिकारियों की सूची में सम्मिलित प्रतियोगिता परिक्षाओं के आधार पर अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के नाम, जो कि सम्मिलित प्रतियोगिता परिक्षाओं में उनके योग्यता क्रम से रखे गये हों, जिनमें पहले ली जाने वाली परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों से बाद में ली जाने वाली परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों से क्रम में पहले रखे गये हों उनको भर्ती के समय सीधी भर्ती के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे के अनुसार अन्तर्विष्ट किए जाएंगे।

उदाहरण

जहां मूल रिक्तियों की 75 प्रतिशत रिक्तियां इस ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित हों और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती के लिए आरक्षित हों तो वे इस क्रम से होंगे कि चयन सूची में से नियुक्त प्रत्येक तीन व्यक्तियों के बाद, एक सीधे भर्ती किया गया व्यक्ति होगा। जहां इन दो वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों का कोटा क्रमशः $83\frac{1}{3}$ प्रतिशत और $16\frac{2}{3}$ प्रतिशत हो तो वे इस क्रम से होंगे कि चयन सूची में से नियुक्त प्रत्येक पांच व्यक्तियों के बाद प्रत्येक सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा। परन्तु यदि उप ग्रेड में सीधी भर्ती वाले किसी व्यक्ति या चयन सूचियों में से नियुक्त किसी व्यक्ति की, बाद में किसी कारण से नियुक्ति रद्द हो जाय, तो उपखण्ड (ii) में उल्लिखित सम्मिलित सूची केवल उल्लिखित अनुपातों को सुनिश्चित रखने के लिए पुनः क्रमबद्ध नहीं की जाएगी।

(iii) उपखण्डों (i) तथा (ii) के अनुसार तैयार की गई अनुभाग अधिकारियों की सम्मिलित सूची में–आनुषंगिकों के कोटा में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पूर्ण रूप से नियुक्त केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के भूतपूर्व ग्रेड 1 के अधिकारियों के नाम भी जो उपर्युक्त खंड (क) के अन्तर्गत नहीं आते, संवर्ग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता कायम रखते हुए इस प्रकार तैयार किए जाएंगे कि अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए वरिष्ठता कोटा में से उस ग्रेड में नियुक्त सबसे कनिष्ठ अनुभाग अधिकारी के तुरन्त बाद अन्तर्विष्ट किए जाएंगे। और उस ग्रेड में उनकी अनुमोदित सेवावधि चाहे बराबर हो या उससे अधिक हो।

टिप्पणी :— इस उपखण्ड और उपखण्ड (iv) के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के भूतपूर्व ग्रेड 1 में अनुमोदित सेवा को ही अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में अनुमोदित सेवा समझा जाएगा।

(IV) उपखण्डों (i), (ii) तथा (iii) के अनुसार तैयार की गई अनुभाग अधिकारियों की सम्मिलित सूची में उपर्युक्त खण्ड (ज) के अन्तर्गत न आने वाले केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के चयन ग्रेड के अधिकारियों के नाम भी उस ग्रेड में उनकी अनुमोदित सेवा की अवधि के अनुसार [प्रारम्भिक गठन के समय उस सेवा के चयन ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में भूतपूर्व ग्रेड (1) में अनुमोदित सेवा सहित] इस प्रकार अन्तर्विष्ट किए जाएंगे कि उनमें से प्रत्येक का नाम उस ग्रेड में वरिष्ठता के कोटा में से नियुक्त सबसे कनिष्ठ अनुभाग अधिकारी, जिसको उस ग्रेड में अनुमोदित सेवावधी चयन ग्रेड और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के भूतपूर्व ग्रेड 1 में पूर्वोक्त अधिकारी की लगातार अनुमोदित सेवा अवधि से अधिक हो या उसके बराबर हो, के तुरन्त बाद होगा।

[संख्या 4/31/72-के० स० (1)]

G.S.R. 1155.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 12 of the Central Secretariat Service Rules, 1962, the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Central Secretariat Service (Promotion to Grade I and Selection Grade) Regulations, 1964, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Secretariat Service (Promotion to Grade I and Selection Grade) Amendment Regulations, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Service (Promotion to Grade I and Selection Grade) Regulations, 1964, for clause (c) of sub-regulation (2) of regulation 5, the following shall be substituted, namely:—

"(c) Officers other than those included in clauses (a) and (b) shall be arranged in the manner specified below:

(i) The names of officers appointed to the Section Officers' Grade before the appointed day and included in the Select Lists of Section Officers at the initial constitution under paragraph 1 of the Fourth Schedule to the Rules, shall be arranged in the order of their seniority as determined before that day. Additions to this list shall be made by including officers appointed to the Section Officers' Grade after the appointed day through the Select List for the Grade, officers appointed on the basis of an earlier Select List being placed above those appointed on the basis of a later Select List, the order of names shall be in the same order as in the all-Secretariat Select Lists issued by the Department of Personnel.

NOTE 1.—For the purpose of this sub-clause, the all-Secretariat Select Lists shall mean the consolidated version of the cadre-wise additions made to each Select List, following the same principles as laid down in paragraph 2 of the Fourth Schedule to the Rules.

(ii) In the list of Section Officers prepared under sub-clause (i), the names of those appointed to the Section Officers' Grade as direct recruits on the basis of the Combined Competitive examinations, arranged in the order of merit in the Combined Competitive examinations, persons appointed on the results of an earlier examination being placed above those appointed on the results of a later examination, shall be interpolated according to the quota of vacancies reserved for direct recruitment at the time of their recuitment.

Illustration

Where 75 percent of the substantive vacancies are reserved for the appointment of persons included in the Select List for the Grade and 25 per cent for direct recruitment, each direct recruit shall be ranked below three persons appointed from the Select List. Where the quotas for these two categories are 83 1/3 percent and 16 2/3 percent respectively every direct recruit shall be ranked below five persons appointed from the Select List. If, however, for any reason, a direct recruit or aperson appointed to the Grade from the Select Lists subsequently ceases to hold the appointment in the Grade, the combined list referred to in sub-clause (i) shall not be rearranged merely for the purpose of ensuring the proportions referred to.

(iii) In the combined list of Section Officers prepared under sub-clauses (i) and (ii), the names of the officers of the erstwhile Grade I of the Central Secretariat Stenographers Service substantively appointed to the Section Officers' Grade agnaist the Stenographers' quota who are not covered by clause (a) shall also be interpolated, by placing each such officer, subject to inter-seniority among such officers in the cadre being maintained, immediately below the juniormost Section Officer appointed to that Grade from the seniority quota for the Section Officers' Grade and having the same or greater length of approved service in that Grade.

NOTE.—For the purposes of this sub-clause and sub-clause. (iv), approved Service in erstwhile Grade I of the Central Secretariat Stenographers' Service shall be deemed to be approved service in the Section Officers' Grade.

(iv) In the combined list of Section Officers prepared under sub-clauses (i), (ii) and (iii), the names of officers of the Selection Grade of the Central Secretariat Stenographers' Service not covered by clause (b) shall further be interpolated according to the length of their approved service in the Grade (including approved service in the erstwhile Grade I of the Central Secretariat Stenographers' Service in the case of officers appointed to the Selection Grade of that Service at the intial constitution) by placing each such officer immediately below the jnuiormost section Officer appointed to that Grade from the seniority quota the length of whose approved service in the Grade is more or equal to the length of continuous approved services of the former in the Selection Grade and erstwhile Grade I of the Central Secretariat Stenographers' Service.

[No. 4/31/72-CS-I]

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

सा० का० नि० 1155.—केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली 1962 के नियम 12 के उप-नियम (4) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड 1 और चयन ग्रेड में प्रोन्नति) विनियमावली, 1964 में और संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) ये विनियम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड 1 और चयन ग्रेड में प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड 1 और चयन ग्रेड में प्रोन्नति) विनियमावली, 1964 में—विनियम 5 के उप विनियम (2) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) खण्ड (क) और (ख) में सम्मिलित अधिकारियों को छोड़ कर अन्य अधिकारी निम्नलिखित क्रम से रखे जायेंगे।

(1) नियम दिन से पहले अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों के नाम, जो नियमावली की चतुर्थ अनुसूची के पैरा 1 के अधीन प्रारम्भिक गठन के समय अनुभाग अधिकारियों की चयन सूचियों में सम्मिलित हों, उनको उस वरिष्ठता के क्रम में क्रमबद्ध किए जाएंगे जो उक्त दिन से पहले निर्धारित की गई हो। इस सूची में और नाम के नियत दिन के बाद अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों को सम्मिलित करके उस ग्रेड की चयन सूची में से इस क्रम से सम्मिलित किए जाएंगे कि पहले की चयन सूची के आधार पर नियुक्त अधिकारियों से क्रम में पहले होंगे। उस नामावली का क्रम कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई सम्पूर्ण सचिवालय की चयन सूचियों में दिए गए क्रम के ही अनुसार होगा।

टिप्पणी.—(1) इस उपखण्ड के प्रयोजन के लिये सम्पूर्ण सचिवालय चयन सूचियों का अभिप्राय केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 की चतुर्थ अनुसूची के पैरा 2 में निर्धारित सिद्धान्तों के ही अनुसार प्रत्येक चयन सूची में संवर्ग-वार सम्मिलित किए गए समेकित रूप से होगा।

(2) उप-खण्ड (1) के अनुसार तैयार की गई अनुभाग अधिकारियों की सूची में सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के नाम, जो कि सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षाओं में उनके योग्यता क्रम से रखे गए हों, जिनमें पहले ली जाने वाली परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त व्यक्ति बाद में ली जाने वाली परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों से क्रम में पहले रखे गए हों उनकी भर्ती के समय सीधी भर्ती के लिये आरक्षित रिक्तियों के कोटे के अनुसार अन्तर्विष्ट किए जाएंगे।

उदाहरण

जहां मूल रिक्तियों को 75 प्रतिशत रिक्तियां इस ग्रेड के लिये चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये आरक्षित हों और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती के लिये आरक्षित हो तो वे इस क्रम से होंगे कि व चयन सूची में से नियुक्त प्रत्येक तीन व्यक्तियों के बाद, एक सीधे भर्ती किया गया व्यक्ति होगा। जहां इन दो वर्गों के लिये आरक्षित रिक्तियों का कोटा क्रमशः 83⅓ प्रतिशत और 16⅔ प्रतिशत हो तो वे इस क्रम से होंगे कि चयन सूची में से नियुक्त व्यक्ति प्रत्येक पांच व्यक्तियों के बाद प्रत्येक सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा। परन्तु यदि उस ग्रेड में सीधी भर्ती वाले किसी व्यक्ति या चयन सूचियों में से नियुक्त किसी व्यक्ति को, बाद में किसी कारण से नियुक्ति रद्द हो जाय, तो उप-खण्ड (2) में उल्लिखित सम्मिलित सूची केवल उल्लिखित अनुपातों को सुनिश्चित रखने के लिये पुनः क्रमबद्ध नहीं की जाएगी।

(3) उप-खण्डों (1) तथा (2) के अनुसार तैयार की गई अनुभाग अधिकारियों की सम्मिलित सूची में—आशुलिपिकों के कोटा में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में मूल रूप से नियुक्त केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के भूतपूर्व ग्रेड 1 के अधिकारियों के नाम भी जो उपर्युक्त खण्ड (क) के अन्तर्गत नहीं आते, संवर्ग में उनको पारस्परिक वरिष्ठता कायम रखते हुए इस प्रकार तैयार किए जाएंगे कि अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिये वरिष्ठता कोटा में से उस ग्रेड में नियुक्त सबसे कनिष्ठ अनुभाग अधिकारी के तुरन्त बाद अन्तर्विष्ट किए जाएंगे। और उस ग्रेड में उनकी अनुमोदित सेवावधि चाहे बराबर हो या इससे अधिक हो।

टिप्पणी :—इस उप-खण्ड और उपखण्ड (4) के प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के भूतपूर्व ग्रेड 1 में अनुमोदित सेवा की हो अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में अनुमोदित सेवा समझा जाएगा।

(4) उप-खण्डों (1), (2) तथा (3) के अनुसार तैयार की गई अनुभाग अधिकारियों की सम्मिलित सूची में—उपर्युक्त खण्ड (ज) के अन्तर्गत न आने वाले केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के चयन ग्रेड के अधिकारियों के नाम भी उस ग्रेड में उनका अनुमोदित सेवा की अवधि के अनुसार [प्रारम्भिक गठन के समय उस सेवा के चयन ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा में भूतपूर्व ग्रेड (1) में अनुमोदित सेवा सहित] इस प्रकार अन्तर्विष्ट किए जाएंगे कि उनमें से प्रत्येक का नाम उस ग्रेड में वरिष्ठता के कोटा में से नियुक्त सबसे कनिष्ठ अनुभाग अधिकारी, जिसकी उस ग्रेड में अनुमोदित सेवावधि चयन ग्रेड और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के भूतपूर्व ग्रेड 1 में पूर्वोक्त अधिकारी को लगातार अनुमोदित सेवा अवधि से अधिक हो या उसके बराबर हो, के तुरन्त बाद होगा

[संख्या 4/3/72के-के० से० (1)]

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव।

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Inland Water Transport Directorate)

New Delhi, the 15th September 1972

G.S.R. 1156.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver in the Head Quarters office of the Inland Water Transport Directorate, New Delhi, under the Ministry of Shipping and Transport, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Inland Water Transport Directorate Staff Car Driver Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit, specified for direct recruits may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts.	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post.	Age for direct recruits.	Educational qualifications for direct recruits.
1	2	3	4		5	6	7
Staff Car Driver	1	General, Central Service Class III, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 110—3—131—4—139	Not Applicable	23 to 30 years.	*Essential*:— Possession of a valid driving licence for driving vehicles like jeeps, cars with knowledge of motor mechanics and experience of driving a motor car for at least five years. *Desirable*: A pass in the 8th Standard.

Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct rectt. or by promotion or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By transfer or deputation, failing which by direct recruitment.	By transfer on the result of a test in driving designed to judge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential for drivers and Staff cars, from amongst the regular Class IV Staff of the Head Quarter Office of the Inland Water Transport Directorate possessing qualifications prescribed in column 7 *or* by deputation or transfer of persons holding the post of Staff Car Drivers in other Ministries or Departments. (Period of deputation ordinarily not exceeding two years.)	Not applicable	Not applicable.

[No. F. 10-IWT(25)/72-C&E.]

JASWANT SINGH, Under Secy.

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय

अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1972

सा० का० नि० 1156.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अन्तर्गत अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय, नई दिल्ली के प्रधान कार्यालय में स्टाफ कार चालक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनयमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय स्टाफ कार चालक भर्ती नियम 1972 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण, और वेतनमान**:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से लेकर 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हतायें और अन्य विषय : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हतायें, और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से लेकर 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

परन्तु सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति या किसी अन्य प्रवर्ग के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेगी ।

5. निर्हतायें .—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी को जीवित होते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है, सेवा में नियक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिये विशेष आधार मौजद हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति**.—इन नियमों की कोई बात इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिये किये गये आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु
1	2	3	4	5	6	7
स्टाफ कार चालक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3, अराजपत्रित अननुसचिवीय	110-3-131-4-139 रु०	लागू नहीं	23 वर्ष से 30 वर्ष ।

जो भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों से के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हतायें	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की कालावधि यदि हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	8	10
अनिवार्य : जीप, कार आदि गाड़ियां चलाने के लिये विधि मान्य अनुज्ञप्ति होनी चाहिये तथा मोटर यान्त्रिकी का ज्ञान और मोटर कार चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो । वांछनीय : 8वां दर्जा पास किया हो ।	लागू नहीं	दो वर्ष ।	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा और ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
11	12	13
अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के प्रधान कार्यालय के नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग में से, स्टाफ कार चालकों के लिये आवश्यक समझे गए क्षमता मानकों के अनुसार पद के लिये उपयुक्तता की जांच करने के लिये उद्दिष्ट परीक्षा के परिणाम स्वरूप स्थानान्तरण द्वारा और जिनके पास स्तम्भ 7 में निर्धारित अर्हतायें मौजूद हैं या अन्य मंत्रालयों अथवा विभागों के स्टाफ कार चालकों के पद पर काम कर रहे व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः दो वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	लागू नहीं	लागू नहीं

[सं० फा० 10-आई डब्ल्यू टी (25)/72-सी ई]

जसवन्त सिंह, अवर सचिव ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CUSTOMS

New Delhi, the 23rd September 1972

G.S.R. 1157.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts component parts of simulators of aeroplanes and aircrafts, when imported into India, from the payment of so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934, (32 of 1934), as is in excess of the duty leviable under the said First Schedule on component parts of aeroplanes or aircrafts, as the case may be.

[No. 109/F. No. 355/14/72-Cus.I.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1972

सा० का० नि० 1157.—सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक-हित में आवश्यक है, विमान और वायुयान के साइन लेटरों के संघटक पुर्जों को जब उनका भारत में आयात किया जाए । भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उस भाग के संदाय से जो यथा-स्थिति विमान या वायुयान के संघटक पुर्जों पर उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है एतद्द्वारा छूट देती है ।

[सं० 109/फा० सं० 355/14/72-सीमा० 1]

G.S.R. 1158.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts frozen semen, and frozen semen equipments specified in the Schedule hereto annexed, when imported into India:—

(i) from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934); and

(ii) from the whole of the additional duty leviable thereon under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934).

SCHEDULE

Frozen semen equipments

(i) Liquid nitrogen refrigerators and flasks of different capacities with containers,

(ii) Liquid Nitrogen containers and accessories for storage of liquid nitrogen;

(iii) Plastic insemination sheath and insemination guns;

(iv) Weaton—Ampules and straws for freezing of semen;

(v) Mettler single pan balance.

[No. 110/F. No. 355/39/72-Cus.I.]

सा० का० नि० 1158.—सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है जमाए गए वीर्य और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट जमाए गए वीर्य से जमा करने वाले संबंधित उपस्कर को भारत में आयात किए जाने पर

(i) भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क;

(ii) भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है ।

अनुसूची

जमाए गए वीर्य से संबंधित उपस्कर

(i) आधानों सहित विभिन्न क्षमता के द्रव नाइट्रोजन प्रशीतिज (रेफ्रिजरेटर) और फ्लास्क ।

(ii) द्रव नाइट्रोजन आधान और द्रव नाइट्रोजन के भंडार-करण के लिए उपसाधन ।

(iii) प्लास्टिक वीर्य-सेचन कोष और वीर्य सेचन गन ।

(iv) वीर्य को जमाने के लिए वीटनएम्पूलस और स्ट्रा ।

(v) मेटलर एकल पलड़ा तुला ।

[सं० 110/फा०सं० 355/39/72-सी० 1]

G.S.R. 1159.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 62 of Finance Act, 1972 (16 of 1972), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 74-Customs, dated the 28th May, 1972, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification, after serial No. 75 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"76 No. 110-Customs dated the 23rd September, 1972".

[No. 111/F. No. 355/39/72-Cus.I.]

S. NARAYANAN, Dy. Secy.

सा०का०नि० 1159.—वित्त अधिनियम 1972 (1972 16) की धारा 62 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 74—सीमा-शुल्क तारीख 28 मई 1972 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में क्रमसंख्या 75 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"76 सं० 110 सीमा-शुल्क तारीख 23 सितम्बर, 1972"

[सं 111/फा० सं० 355/39/72-सी० 1]

एस० नारायणन, प सचिव ।

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th September 1972

G.S.R. 1160.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. G.S.R. 1987 dated the 22nd November, 1971, published at pages 5560—5566 of the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 25th December, 1971, at page 5562, in column 3 of the Schedule, *for* "Class-III" *read* "Class II".

[No. 16/86/69-CLT.]

C. R. NAIR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraph Board)

New Delhi, the 28th August 1972

G.S.R. 1161.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. These rules may be called the Indian Telegraph (Seventh Amendment) Rules, 1972.

2. They shall come into force at once.

3. In rule 164 of the Indian Telegraph Rules, 1951 for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:—

(a) 'A' message drafts of inland telegrams booked at the Combined Offices, other than those referred to in clauses (c), (d) and (e), shall be retained in the concerned telegraph offices of origin for a period of two months and shall, thereafter, be sent to the Telegraph Check Office, where with the exception of 'A' message drafts referred to in clause (b), they may be destroyed, if no longer required for any specific purpose.

'A' message drafts of the inland telegrams booked at the Central Telegraph Offices/Departmental Telegraph office other than those referred to in clauses (b) (i), (c) and (d) shall be preserved in the concerned telegraph offices of origin for the periods, specified below and then destroyed, if no longer required for any specific purpose, namely:—

(1) 'A' message drafts of inland telegrams excepting Telegraph Money Order advices shall be preserved for three months from the date of booking.

2) 'A' message draft of Telegraph Money Order advices shall be preserved for six months reckoned from the beginning of the month following that in which the telegrams were booked.

(b) (i) 'A' message drafts of frontier telegraph offices relating to Indo-Ceylon, Indo-Pakistan, Indo-Bangladesh and Indo-Nepal messages after receipt in Telegraph Check Office shall be preserved for a period of 6 months reckoned from the beginning of the month following that in which the telegrams were booked and may then be destroyed, if no longer required for any specific purpose.

(b) (ii) The 'A' message drafts of telegraph money order advices of Combined offices shall, after receipt in Telegraph Check Office, be preserved for a period of 6 months reckoned from the beginning of the month following that in which the telegrams were booked, and may then be destroyed, if no longer required for any specific purpose.

[No. F.35-38/72/T-2.]

G. H. WILLIAMS,
Director (Telegraph Traffic).

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1972

सा०का०नि० 1161.—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय तार नियमावली, 1951 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कानून बनाती है, अर्थात् :

1. इन नियमों को भारतीय तार (सातवां संशोधन) नियमावली 1972 कहा जाएगा ।

2. ये तत्काल लागू होंगे ।

3. भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 164 में खण्ड (क) और (ख) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :

(क) खण्ड (ग), (घ) और (ङ) में उल्लिखित के अलावा, संयुक्त डाक-तार घरों में बुक किये गए देशीय तारों के 'क' संदेश प्रारूप संबंधित मूल तार घरों में दो महीने की अवधि तक रोके जाएंगे और इसके बाद वे तार जांच कार्यालय को भेज दिये जाएंगे, जहां खण्ड (ख) में उल्लिखित 'क' संदेश प्रारूपों को अपवाद रूप में छोड़कर, किसी विशिष्ट उद्देश्य से अगर उनकी आवश्यकता न हो तो इसके बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाए। केन्द्रीय तारघरों/विभागीय तारघरों में बुक किये गए देशीय तारों के 'क' सन्देश प्रारूपों का, खण्ड ख(1)(ग) और (घ) में उल्लिखित के अलावा नीचे बताई गई अवधियों के लिए संबंधित मूल तारघरों में सुरक्षित रखा जाएगा और किसी विशेष उद्देश्य से अगर उनकी आवश्यकता न हो तो इसके बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा, अर्थात् :—

(1) तार मनीआर्डर के संज्ञापनों को छोड़कर, देशीय तारों के 'क' सन्देश प्रारूपों को उनकी बुकिंग की तारीख से तीन महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा।

(2) तार मनीआर्डर संज्ञापनों के 'क' सन्देश प्रारूपों को छः महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा जो उस महीने के अगले महीने के शुरू से गिने जाएंगे जिसमें तार बुक किये गए थे।

ख (i) भारत-श्रीलंका, भारत-पाकिस्तान, भारत-बंगलादेश और भारत-नेपाल के संदेशों से सम्बन्धित फ्रांटियर तारघरों के 'क' सन्देश प्रारूप तार जांच कार्यालय में प्राप्त होने के बाद 6 महीने तक सुरक्षित रखे जाएंगे जो उस महीने के अगले महीने के शुरू से गिने जाएंगे जिसमें तार बुक किये/गए थे और किसी विशिष्ट उद्देश्य से अगर उनकी आवश्यकता न हो तो इस के बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाए।

(ख) (ii) संयुक्त डाक-तारघरों के तार मनीआर्डर संज्ञापनों के 'क' सन्देश प्रारूपों को, तार जांच कार्यालय में प्राप्त होने के बाद, 6 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा जो उस महीने के अगले महीने के शुरू से गिने जाएंगे जिसमें तार बुक किए गए थे और किसी विशिष्ट उद्देश्य से अगर उनकी आवश्यकता न हो तो इसके बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।

[संख्या फा० 35-38/72-टी-2]

जी० एच० विलियम्स,

निदेशक (तार परियात)।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972